


No. HQ/PIO/RTI/371/15

Date: 12.01.2016

श्री रामजीवन,
पुत्र मंगली,
ग्राम व पो.-रैपालपुर,
तह.-अकबरपुर,
जिला-कानपुर देहात, उ.प्र.।



Sub: Information under RTI Act- 2005.


Ref.: Your application dt. Nil, received in this office on 04.12.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

1. वाद सं. 298/2014-15, मा. आर्बीट्रेटर/आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर, के आदेशानुसार 20 वर्ष की उत्पादकता के आधार पर अनुपालन कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र सं. 529/डी.एलआर.सी.-का.दे.-जी.आर.सी.-बैठक/2014 दिनांक 12.01.2015 के आधार पर किया गया है। (प्रति संलग्न) एवं 200 मी. त्रिज्या के अन्दर स्थित होने के आधार पर प्रचलित मूल्यांकन सूची 2010 के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। (प्रति संलग्न)
2. जिला मूल्यांकन सूची 2010 के नोट अनुसार "विकीत कृषि भूमि की 200 मी. त्रिज्या में यदि अकृषि गतिविधियाँ हैं तो ऐसी स्थिति में 0.041 हे. भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर से किया जायेगा इससे अधिक रकबे की स्थिति भूमि को 50 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकित किया जायेगा।" एवं राजस्व अभिलेखों यदि भूमि की स्थिति आवासीय/आबादी दर्ज हैं, उसके अनुरूप भूमि का मूल्यांकन किया गया है।
3. बिन्दु 1 एवं 2 अनुसार।

However, in case, you are not satisfied with the information you may prefer an appeal within 30 days as provided in the Act to the **Appellate Authority, GGM/Admn, DFCCIL, New Delhi.**

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to : CPM/Tundla